

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अधिष्ठान -7- अनुभाग)
सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश**

संख्या:- २१०२/ई-७/अवर अभि०/नियुक्ति/

लखनऊ : दिनांक : ०३ / ०८ / २०१६

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ के पत्रांक-५३४/गोपन अनुभाग/२०१६ दिनांक ०७-०६-२०१६ एवं पत्रांक-५७९/गोपन अनुभाग/२०१६ दिनांक १५-७-१६ द्वारा प्राप्त अवर अभियन्ता (सिविल) पद पर पदस्थापना हेतु चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थाई अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु०९३००-३४८००, ग्रेड पे ४२००/- में एतद्द्वारा की जाती है। इन्हें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशानुसार महंगाई भत्ता भी वेतन के साथ देय होगा, इन्हें इनके नाम के सम्मुख लिखे गये खण्ड में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	अधी० से०च० आयोग का क्रमांक	अवर अभियन्ता का नाम सर्वश्री:-	पिता का नाम सर्वश्री:-	जन्मतिथि	गृह-जनपद	श्रेणी	पदस्थापित खण्ड का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८
१	९५	शैलेन्द्र	शीतला प्रसाद तिवारी	०७-१०-१९८९	जौनपुर	सामान्य	शारदा सहायक खण्ड-२८, हैदरगढ़
२	४२	प्रिय रंजन	शम्भू दुबे	१२-०३-१९९१	पूर्वी चम्पारन (बिहार)	सामान्य	चन्द्रप्रभा प्रखण्ड गुगलसराय, चन्दौली
३	२३२	अरुणिमा शुक्ला	गया प्रसाद शुक्ला	२०-०६-१९९४	बाराबंकी	सामान्य	गुण निरांत्रण खण्ड, लखनऊ
४	३४	रजनीश कुमार त्रिपाठी	योगेश त्रिपाठी	०१-०५-१९८९	अमेठी	सामान्य	शारदा सहायक खण्ड-५१, प्रतापगढ़
५	२२४	वर्षा शुक्ला	वीरेन्द्र कुमार शुक्ला	२७-०६-१९९६	लखनऊ	सामान्य	बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी
६	८५	आशुतोष कुमार	प्रेम सिंह मौर्च	१५-०२-१९९५	फतेहपुर	अ०पि० वर्ग	ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड, भदोही
७	५८	दिलीप कुमार मिश्रा	अशोक कुमार मिश्रा	२४-१०-१९८५	बाराबंकी	सामान्य	सिंचाई खण्ड, फैजाबाद
८	४४	अविनाश श्रीवास्तव	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	२८-०१-१९९२	अमेठी	सामान्य	सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़
९	१९४	अभिषेक कुमार	जगदीश कुमार	१२-०९-१९९१	लखनऊ	अनु०जाति	बाढ़ खण्ड, लखीमपुर
१०	१६६	रवि कुमार यादव	ओम प्रकाश यादव	०७-०७-१९९१	फैजाबाद	अ०पि० वर्ग	सरयू नहर खण्ड-६, बहराइच

11	115	फुरकान अहमद	अनीस अहमद	30-05-1985	शाहजहाँपुर	अ0पि0 वर्ग	हरदोई खण्ड शारदा नहर, हरदोई
12	181	मो0 हारुन	मो0 अनीस	15-09-1987	बहराइच	अ0पि0 वर्ग	सरयू-इनेज खण्ड-2, बलरामपुर
13	178	गौरव कुमार	राजा राम	10-07-1987	सीतापुर	अ0पि0 वर्ग	सिंचाई खण्ड, लखनऊ
14	173	नितिन चौधरी	ज्ञान सिंह	31-01-1991	अलीगढ़	अ0पि0 वर्ग	लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा
15	111	सौरभ शर्मा	उमा शंकर शर्मा	18-02-1992	इलाहाबाद	अ0पि0 वर्ग	सिंचाई खण्ड, लखनऊ

1- उपरोक्त नवनियुक्ति अवर अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र मूलरूप में उस खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, जिसके अधीन उन्हें पदस्थापित किया गया है, अन्यथा उनकी योगदान आख्या स्वीकार्य नहीं की जायेगी:-

(ए) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास (Domicile) प्रमाण-पत्र।

(बी) यदि पहले से सेवा में हैं, तो उस विभाग से कार्यमुक्त होने का प्रमाण-पत्र।

(सी) निम्नलिखित आचरण प्रमाण-पत्र:-

(1) किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों का प्रमाण-पत्र, जो अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से प्रमाण-पत्र की तिथि से 05 वर्ष पूर्व से जानते हों,

अथवा

ऐसे ही विधान सभा/विधान परिषद/लोकसभा में दो माननीय सदस्यों के प्रमाण पत्र

(2) शिक्षा संस्था के प्रधानाचार्य जहाँ पर उनसे अन्तिम रूप से शिक्षा प्राप्त की हो, के द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

(डी) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का स्वयं का घोषणा पत्र (शासकीय आदेश संख्या-4302/02/1954, दिनांक-21.05.1959 के अनुसार)।

(ई) संलग्न परिशिष्ट 03 व 04 में संलग्न घोषणा-पत्र।

(एफ) सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

(जी) समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित प्रतियाँ।

(एच) शासनादेश सं0-1003/60-3-06-3(16ए0क्यू0)/2000 दिनांक 08.06.2009 में निहित प्राविधानों के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं उत्तर प्रदेश प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथासंशोधित नियमावली, 2004 के अनुसार अपने विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया है अथवा नहीं लूँगा का घोषणा पत्र।

(आई) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्वयं व अपने आश्रितों द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उक्त विवरण उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के क्रम में प्रत्येक 05 वर्ष पर नियुक्ति प्राधिकारी को नियमित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2- उक्त नियुक्ति, नियुक्ति विभाग, अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-20/1-1974-Appt-3 दिनांक 11 जून 1975(यथासंशोधित) में प्राविधानित नियमों एवं सेवा शर्तों के अधीन की जा रही है। अवर अभियन्ता की सेवा किसी भी समय एक माह की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। यदि अवर अभियन्ता स्वयं सेवामुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें भी नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। एक माह के नोटिस के बदले विभाग एक माह का वेतन देकर अथवा नोटिस समयावधि में कमी के समतुल्य वेतन जमा कराकर भी अवर अभियन्ता को सेवा से अवमुक्त कर सकता है। इसी प्रकार अवर अभियन्ता भी नोटिस के बदले में एक माह का वेतन नोटिस में कम समयावधि के तुल्य वेतन देकर सेवा से अवमुक्त हो सकता है।

3- नवनियुक्त अवर अभियन्ता दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रहेंगे। उक्त अवधि में उनका कार्य कलाप असन्तोषजनक होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।



- 4- नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- 5- अभ्यर्थी को इस आशय का एक बन्धक पत्र कि उन्हें सेवा में रहते हुए कम से कम 05 वर्षों तक अनुसंधान एवं नियोजन के कार्यों में अनिवार्य रूप से कार्य करना होगा, जिसे अधिशासी अभियन्ता को भरकर देना होगा, अधिशासी अभियन्ता प्रतिहस्ताक्षरित करके इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
- 6- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नवनियुक्त अवर अभियन्ता (सिविल) के समस्त मूल शैक्षणिक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को कार्यालय में जमा कराये एवं उनका सत्यापन जारी करने वाले प्राधिकारी से कराये।
- 7- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र पर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने तथा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तभी कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
- 8- उपरोक्त नियुक्ति शासनादेश संख्या-22/5/1982-का-2, दिनांक 27-7-1994 के प्रस्तर-2 के अनुसार अस्थायी है और शैक्षणिक अभिलेखों/ जाति प्रमाण पत्र के उचित सत्यापन के शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर शैक्षणिक अभिलेखों/ जाति प्रमाण पत्र का दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त समान्य मानी जायेंगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।
- 9- अभ्यर्थियों की पदस्थापना उनके गृह जनपद में नहीं की जायेगी।
- 10- नवनियुक्त अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के प्राविधानानुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।
- 11- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि तक कार्यभार नहीं ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

सी0डी0 राम

प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0)

संख्या:- 2902 /1/ई-7/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोगती नगर, लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 7-06-16 के सन्दर्भ में।
2. सचिव (कार्मिक अनुभाग-4) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-7) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता(स्तर-1) एवं (स्तर-2) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य अभियन्ता, (अधिष्ठान-8), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय मण्डल, सिंचाई कार्य, कानपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फर्रुखाबाद।
8. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई) / (परिकल्प एवं नियोजन) मुख्य अभियन्ता, (कार्मिक)(स्तर-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. शिविर सहायक, मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-7/8) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. महारासचिव, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, 62 क्ले स्वायर, लखनऊ।
11. उपरोक्त अभ्यर्थी की वैयक्तिक पत्रावाली हेतु।
12. कट-फाइल।

(ओ0 पी0 सी0 वास्तव)

मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-ई-7)

संख्या:- २१०२ /२/ई-७/तददिनांक

प्रतिलिपि विम्बलिखित को इस कथन के साथ प्रेषित है कि वांछित प्रमाण-पत्रों/ घोषणा-पत्रों के साथ अपना कार्यभार अपने नाम के सम्मुख अंकित खण्ड में निर्धारित तिथि के अन्दर प्रत्येक दशा में ग्रहण कर लें, अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे:-

1. श्री शैलेन्द्र पुत्र श्री शीतला प्रसाद तिवारी, निवासी-ई-१/१६१ सेक्टर-आइ, जानकीपुरम, लखनऊ, पिन कोड-२२६०२१
2. श्री प्रिय रंजन पुत्र श्री शम्भू नाथ दुबे, निवासी-ग्राम-विशुनपुर, जिला-पूर्वी चम्पारन, बिहार पिन कोड-८४५४१६
3. सुश्री अरुणिमा शुक्ला पुत्री श्री गया प्रसाद शुक्ला, निवासी-ग्राम-चौरी, पोस्ट-चौरी, थाना-राम सनेही घाट, जिला-बाराबंकी पिन कोड-२२५४०९
4. रजनीश कुमार त्रिपाठी पुत्र योगेश त्रिपाठी, निवासी-ग्राम व पोस्ट-गडेरी, जिला-अमेठी पिन कोड-२२७४०५
5. सुश्री वर्षा शुक्ला पुत्री श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला, निवासी-५५५-अ/४९९ भोला खेड़ा, मानस नगर, आलमबाग, लखनऊ, पिन कोड-२२६०२३
6. श्री आशुतोष कुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह मौर्य, निवासी-मकान नं०-४३८ कृष्ण कालोनी, हरिहरगंज, जिला-फतेहपुर, पिन संख्या-२१२६०१
7. श्री दिलीप कुमार मिश्रा पुत्र श्री अशोक कुमार मिश्रा निवासी-ग्राम-देवकली पोस्ट-अहमदपुर, जिला-बाराबंकी पिन कोड-२२५४१२
8. श्री अविनाश श्रीवास्तव, पुत्र श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव निवासी-ग्राम व पोस्ट-टीकरमाफी, जिला-अमेठी, पिन कोड-२२७४१३
9. श्री अभिषेक कुमार, पुत्र श्री जगदीश कुमार, निवासी-डी०एस०ई०-२१९ सेक्टर-सी, कुर्सी रोड, जानकीपुरम, लखनऊ।
10. श्री रवि कुमार यादव, पुत्र श्री ओम प्रकाश यादव, निवासी-अहिरन का पुरवा, पोस्ट-गद्दौपुर जिला-फैजाबाद, पिन कोड-२२४००१
11. श्री फुरकान अहमद, पुत्र श्री अनीस अहमद, निवासी-३४६- बीबी जई हद्दफ निकट पक्का तालाब, शाहजहाँपुर, पिन कोड-२४२००१
12. श्री मो० हारून, पुत्र श्री मो० अनीस, निवासी-ग्राम-मरोठी, पोस्ट-कन्दैला खारा वाया-जखल करबा, जिला-बहराइच पिन कोड-२७१९०४
13. श्री गौरव कुमार पुत्र श्री राजा राम, निवासी- मकान नं०-३०३ मो०-सन्तनगर निकट रेलवे कासिंग महगूदाबाद चौराहा, सिधौली, जिला-सीतापुर, पिन कोड-२६१३०३
14. श्री नितिन चौधरी, पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी-एम०आई०जी०-४६-बी स्वर्ण जयन्ती नगर, ए०डी०ए० कोलोनी, अलीगढ़, पिन कोड-२०२००१
15. श्री सौरभ शर्मा, पुत्र श्री उमा शंकर शर्मा, निवासी-८५, जवाहरगंज, थाना-कर्मलगंज, इलाहाबाद, पिन कोड-२११००२

(ओ० पी० श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-ई-७)